



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226178
CG-DL-E-27032021-226178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1262]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1366(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 16+400 कि.मी. से 100+000 कि.मी. तक के भूखण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला अधिकारी, भूमि संपादन मध्यम प्रकल्प क्र. 2, उस्मानाबाद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई

के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 16/400 कि.मी. से 100/000 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: उस्मानाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कळंब					
गांव का नाम: चोराखली					
1	411	निजी	एग्रीकल्चर	0.0105000(हेक्टेयर)	0.0105000
तालुक का नाम: उस्मानाबाद					
गांव का नाम: बावी					
1	192	निजी	एग्रीकल्चर	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
गांव का नाम: उस्मानाबाद					
1	259	निजी	एग्रीकल्चर	0.0017000(हेक्टेयर)	0.0017000
2	377	निजी	एग्रीकल्चर	0.0081000(हेक्टेयर)	0.0081000
3	377	निजी	एग्रीकल्चर	0.0146000(हेक्टेयर)	0.0146000
तालुक का नाम: तुळजापुर					
गांव का नाम: सिंदफळ					
1	460/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
कुल				0.0949	0.0949

[फा. सं. NHAI /LA /11013/Mah/Solpaur/2010/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1366(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No. 211 (New NH No. 52), in the stretch of land from Km. 16+400 to Km.100+000 (Maharashtra Section) in District Osmanabad in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely the Deputy Collector, Land Acquisition Medium Projects No. 2, Osmanabad in writing and shall set-out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person, at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km.-16/400 to Km.-100/000 (Maharashtra Section) on the National Highways No. 211 (New NH-52) in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: OSMANABAD			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kallamb					
Village: Chorakhali					
1	411	Private	Agriculture	0.0105000(Hectare)	0.0105000
Taluk: Osmanabad					
Village: Bavi					
1	192	Private	Agriculture	0.0400000(Hectare)	0.0400000

Village: Osmanabad					
1	259	Private	Agriculture	0.0017000(Hectare)	0.0017000
2	377	Private	Agriculture	0.0081000(Hectare)	0.0081000
3	377	Private	Agriculture	0.0146000(Hectare)	0.0146000
Taluk: Tuljapur					
Village: Sindphal					
1	460/1	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Total				0.0949	0.0949

[F. No. NHAI /LA /11013/Mah/Solpaur/2010/3A]

RAJESH GUPTA, Director